न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 89/2020

प्रार्थीगण

1 पारसमल पुत्र सोहनराज
2 जवेरीलाल पुत्र सोहनराज
3 ओमप्रकाश पुत्र सोहनराज
जाति ओसवाल निवासी करमावास तहसील समदडी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1 मानाराम पुत्र राणाराम
2 गोमतीदेवी पत्नि दुर्गाराम
3 लीलादेवी पुत्री दुर्गाराम
4 सारीदेवी पुत्री दुर्गाराम
5 कालीदेवी पत्नि छोगाराम
6 ललीतादेवी पुत्री छोगाराम
7 ममतादेवी पुत्री छोगाराम
जाति चौधरी निवासीयान करमावास तहसील समदडी जिला बाडमेर
8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार समदडी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 14.12.2020

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री पूनमचंद रामदेव की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2071–2074 सरहद मौजा करमावास पटवार मण्डल करमावास तहसील समदडी के खेत खसरा नम्बर 681/77 रकबा 34–19 बीघा का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह पक्के पत्थर गढे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार के समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.01.09 17:17:46 IST
Reason: SelfAttested

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार समदडी को आदेशित किया जाता है कि दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा करमावास पटवार मण्डल करमावास तहसील समदडी के खेत खसरा नम्बर 681/77 रकबा 34-19 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार समदडी को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार समदडी को थानाधिकारी पुलिस थाना समदडी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार समदडी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 14.12.2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

उपखण्ड अधिकारी (SDM) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.01.09 17:17:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

क्रमांकः वाद/2020/ 199 | दिनांक : 14.12.2020

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
पारसमल वगैरा		मानाराम वगैरा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं:–89/2020 | निर्णय दिनांक :–14.12.2020

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम...करमावास....के खेत खसरा नम्बर 681/77 रकबा 34–19 बीघा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार.....समदडी......को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस रूपये 500/– प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बाड़मेर)
सिवाना

क्रमांकः वाद/2020/ 200-204 | दिनांक : 14.12.2020

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार ....समदडी............
2. थानाधिकारी...समदडी............
3. हल्का पटवारी..करमावास........ को मय रकबे [illegible] लेकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी ...पारसमल वगैरा...........
5. विप्रार्थी मानाराम वगैरा.........

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.01.09 17:17:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)